सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 14/2017 अपील (RCMS/2017/112)
पंजीयन दिनांक — 03.04.2017
निर्णय दिनांक — 04.06.2018

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री लाल सिंह राजपूत, के मृतक बजायेः—

1/1 श्री शम्भुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत,

1/2 श्री दौलतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत,

1/3 श्री मोहब्बतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत,

1/4 श्री निर्भयसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत,

1/5 श्रीमती मंजू कुंवर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत,

1/6 श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री हीरसिंह राजपूत,

1/7 श्री भगवतसिंह पिता श्री हीरसिंह राजपूत,

1/8 श्री सुरेन्द्रसिंह पिता श्री हीरसिंह राजपूत,

1/9 श्रीमती केशरसिंह पत्नी श्री हीरसिंह राजपूत,

सर्वनिवासीयान सोलंकियों की भागल, मजरा लाल मादड़ी, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री उदय सिंह पिता हड़मत सिंह राजपूत, निवासी सोलंकियों की भागल, मजरा लाल मादड़ी, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 117/2016 दिनांक 13.05.2016

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 117/2016 दिनांक 13.05.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाल मादड़ी की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 563 में खातेदार लक्ष्मण सिंह पिता लालसिंह राजपूत सा.सो.भा.म.देह दर्ज है, जबकि जमाबन्द संवत् 2038 से 2041 के खाता संख्या 301 में हडमत सिंह पिता नगसिंह राजपूत के अकेले खाते दर्ज थी इसमें से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1980 से 1/2 हिस्सा लक्ष्मणसिंह पिता लालसिंह को विक्रय किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 07.09.1983 को फैसल हुआ। परन्तु जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 के खाता संख्या 301 में अमल दरामद पुरे खाते पर कर दिया। जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री उदयसिंह पिता हड़मत सिंह सोलंकी ने सहायक कलक्टर, नाथद्वारा द्वारा दिनांक 13.05.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार–2016 कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र लाल मादड़ी पर एक इन्द्राज दुरस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम लाल मादड़ी की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाते संख्या 563 में लक्ष्मणसिह पिता लालसिंह के बजाय उदय सिंह पिता हडमत सिंह 1/2, लक्ष्मणसिंह पिता लालसिंह सा.सो.भा.म.देह दर्ज कराया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.05.2016 को उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1810 से राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी में अमलदरामत करते हुए प्रवृष्टि अंकित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 14.05.2018 को लिखित बहस पेश करने को मौका दिया गया। लिखित बहस रेस्पोडेंट अप्राप्त। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 14.05.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट के नाम पर आराजी नम्बर 1744 का पूरा रकबा 0.10 दस बिस्वा राजस्व रेकार्ड में अंकित था और अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा बिना तलब किये व बिना सूचना दिये व बिना

सुने उसके परोक्स में उसके विरूद्ध आदेश फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में वैधानिक भूल फरमायी है। आदेश एक पक्षीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 20.02.2017 विवादग्रस्त भूमि का कब्जा छोडनें की धमकी से राजस्व लोक अदालत में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में आदेश पारित किये जाने की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुए प्रार्थना पत्र व उस पर आदेश तथा उस आदेश की पालना एक ही दिन में प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए कर दी। उक्त आदेश की जानकारी होते विचाराधीन अपील प्रस्तुत की एवं धारा –5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम का प्रार्थना भी प्रस्तुत किया है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का आदेश पारित फरमाने का अनुरोध किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1980 एवं नामान्तरण संख्या 343 दिनांक 07.09.1983 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 1744 रकबा 0.10 बीघा में से 1/2 हिस्सा लक्ष्मण सिंह पिता लाल सिंह द्वारा क्रय किया गया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 343 में भी उक्त विक्रय पत्र अनुसार 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 के खाता संख्या 301 में सम्पूर्ण आराजी लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज कर दी गई जिससे दुरस्त करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.05. 2016 को उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**भवानी सिंह देथा**)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर